

कार्यालय, प्राचार्य नवीन शासकीय महाविद्यालय तोंगपाल,  
जिला-सुकमा (छ.ग.)

College code-157


क्रमांक / / अतिथि व्याख्याता / 2022

तोंगपाल, दिनांक / / 2022

// आमंत्रण-पत्र //

आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी -3, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक /563/ 126/आउशि/राज. स्था./2022 नवा रायपुर दिनांक 08/09/2022 के निर्देशानुसार महाविद्यालय में जमा किये आवेदन पत्रों के मेरिट लिस्ट के अनुसार कु. वालसा लकड़ा, ग्राम-सेमरडीह, पोस्ट-भितघरा, तह.-बगीचा, जिला-जशपुर (छ.ग.) 496224, विषय-हिन्दी, अतिथि व्याख्याता सत्र 2022-23 के लिए दिनांक 08/12/2022 तक कार्यभार ग्रहण करने हेतु निम्नलिखित शर्तों पर आमंत्रित किया जाता है।

- 1) मानदेय शिक्षकीय कार्य हेतु 40/45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए रु. 300/- (रु. तीन सौ मात्र) प्रति व्याख्यान मानदेय होगा। अतिथि व्याख्याता व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक अतिथि एक दिवस में अधिकतम 04 व्याख्यान / पिरियड ले सकेंगे। इस प्रकार अधिकतम प्रतिदिन रु. 1200/- (रु. एक हजार दो सौ मात्र) का भुगतान किया जाता है।
- 2) निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में यह आमंत्रण पत्र निरस्त माना जावेगा।
- 3) उपस्थिति के समय समस्त मूल प्रमाण -पत्रों की जांच कराना होगा। एवं महाविद्यालय में उपलब्ध शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 4) अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अन्तर्गत "लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे।
- 5) किसी प्रकार के अवकाश का लाभ नहीं दिया जावेगा।
- 6) अन्य शर्तें शासन एवं उच्च शिक्षा संचालनालय छत्तीसगढ़ शासन रायपुर के अनुसार होगी।

  
प्राचार्य


नवीन शासकीय महाविद्यालय  
तोंगपाल, जिला-सुकमा (छ.ग.)

दिनांक 15/12/2022.

पृ.क्र. / 124/ अतिथि व्याख्याता / 2022

प्रतिलिपि:-

- 1) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2) महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर (छ.ग.)।
- 3) क्षेत्रित अपर संचालक, उच्च शिक्षा, जदलपुर का सादर सूचनार्थ प्रेषित (छ.ग.)।
- 4) जिला -कोषालय अधिकारी सुकमा को सूचनार्थ।
- 5) स्थापना/लेखा शाखा शासकीय शहीद बापूराव स्नातकोत्तर महाविद्यालय सुकमा, जिला -सुकमा (छ.ग.)।
- 6) व्यक्तिगत नस्ति।
- 7) संबंधित अतिथि व्याख्याता को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

  
नवीन शासकीय महाविद्यालय  
तोंगपाल, जिला-सुकमा (छ.ग.)